भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1908

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

ईपीएफओ की प्रमुख सेवानिवृत्ति बचत योजना के लिए वेतन सीमा

1908. श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री गिरिश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रमुख सेवानिवृत्ति बचत योजना के लिए वेतन सीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ईपीएफओ के इस प्रस्तावित बढ़ी हुई संशोधित सीमा के कारण सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत और अधिक श्रमिकों को लाया जा सकेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ईपीएफओ की मूल संरचना को बदलने से पहले इसके प्रभाव का पूरी तरह से आकलन करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। वर्तमान में, यह 15000 रुपये प्रति माह है।

****